राजस्थान सरकार,
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.1(7)आयो.–1/सांख्यिकी/2011 जयपुर, दिनांकः 10 JU: 2013

आज्ञा

राज्य में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए चलाए जा रहे राजस्थान स्टेट स्ट्रेटिजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के तहत भारत सरकार के आई.एस.एस.पी., बी.एस.एल.एल.डी. एवं अन्य कार्यक्रम तथा 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से आयोजित होने वाली कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निम्नानुसार वित्तीय मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैंः–

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	मद	इकाई	प्रशिक्षण अवधि	राज्य स्तर	जिला स्तर	खण्ड स्तर	विशेष विवरण
1	वर्किंग लंच व दो बार चाय–बिस्किट	प्रति व्यक्ति	एक दिवस	250	200	150	
2	आधे दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम (हाई–टी)	प्रति व्यक्ति	आधा दिवस	75	50	25	
3	प्रशिक्षण कक्ष किराया		प्रतिदिन	–	5000	3000	
4	प्रशिक्षण किट	प्रति व्यक्ति	तीन दिवस से अधिक	500	350	–	
			एक से तीन दिवस	150	100	50	
5	अन्य व्यय	प्रति प्रशिक्षण	5 दिवस	10000	–	–	फोटोस्टेट, बैनर आदि।
			5 दिवस से कम	5000	3000	2000	
6	रिसोर्स परसन को मानदेय	अधिकतम दो सत्र प्रतिदिन प्रति व्यक्ति	प्रति सत्र अतिथि अधिकारियों हेतु	700	500	400	
			प्रति सत्र विभागीय अधिकारियों हेतु	500	400	300	
7	ग्रुप फोटो	प्रति व्यक्ति	प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	50	50	

नोटः– 1. बिन्दु संख्या–3 पर अंकित प्रशिक्षण हॉल सुविधा में माइक सिस्टम, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि सुविधाएं सम्मिलित होंगी।
2. बिन्दु संख्या–4 पर अंकित तीन दिवस से अधिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण किट राज्य एवं जिला स्तर पर ही देय होंगे।

उपरोक्त नॉर्म्स के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्थाएं प्रभावी रहेंगीः–

1. जिन कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे, वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही आयोजित किए जा सकेंगे।
2. निदेशालय मुख्यालय पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने वाले कार्मिक सम्बन्धित बजट मद से राज्य सरकार के नियमानुसार टी.ए.–डी.ए. आहरित कर सकेंगे।

2.

3. विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में बाहर से आने वाले रिसोर्स परसन के लिए क्षेत्र कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार वाहन किराए पर लिए जा सकेंगे।
4. भविष्य में विभाग के अधीन विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करने में इन मानदण्डों को उपयोग में लिया जा सकेगा तथा स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का आवंटन निदेशालय/जिलों/ब्लॉक कार्यालयों को उक्त मानदण्डों के आधार पर किया जा सकेगा।
5. भारत सरकार एवं अन्य संस्थानों से विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी सांख्यिकी गतिविधियों/कार्यकलापों का प्रशिक्षण लेने के लिए समय-समय पर निदेशालय आते हैं। ऐसे प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि में तालिका के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार जलपान की व्यवस्था की जा सकेगी।

10/7/x11

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप महानिदेशक (आई.एस.एस.पी.), केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नम्बर-8, 8वां तल, जीवन प्रकाश भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
2. उप महानिदेशक (टी.एफ.सी.), केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)/बजट विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
6. निदेशक, आयोजना (परिवीक्षण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, आयोजना (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. लेखाधिकारी, मुख्यालय।
10. गार्ड फ़ाईल।

सहायक शासन सचिव,

क्रमांक एफ. 5(1)/प्रशि./नार्म्स/डी.ई.एस./2013/29374 दि017

प्रतिलिपि:- समस्त उप निदेशक/सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांखि (राज.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हरिओम ...)
सहायक निदेशक (...)
आर्थिक एवं सांख्यिकी नि...
जयपुर